पत्रांक :– 14 / कोर्ट–02–05 / 2017 का0 4990 /

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

के0 के0 खण्डेलवाल, भा0प्र0से0
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव,
सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 5.7.18

विषयः– प्रोन्नति के मामले में आरक्षण की सुविधा के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्र सं0–743, दिनांक–25.01.2018

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या–WP(S)-3792/2016- अमरेन्द्र कुमार सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक–27.02.2017 को पारित आदेश के अनुसार झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा 4(2)(क) के द्वितीय परन्तुक के कार्यान्वयन पर रोक लगा देने के कारण विभागीय परिपत्र सं0–743, दिनांक–25.01.2018 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के द्वारा प्रसंगाधीन वाद में अंतिम निर्णय तक प्रोन्नतियाँ बाधित रखने का निर्णय संसूचित किया गया था।

उल्लेख करना है कि प्रसंगाधीन वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक–27.06.2018 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :–

"5. Having heard learned counsel for both sides and looking to the facts and circumstances of the case and also the aforesaid orders passed by Hon'ble The Supreme Court, it is directed that pendency of this writ petition shall not stand in the way of the State of Jharkhand taking steps for the purpose of promotion from "reserved to reserved" and "unreserved to unreserved" and also in the matter of promotion on merits.

6. It is made clear that the State of Jharkhand is not deprived from giving promotion in accordance with law, pending further consideration of the the present writ petition.

To the aforesaid extent, the order passed by this Court dated 27th February, 2017 in W.P. (S) No.-3792 of 2016 is, hereby, modified. The action taken by the Sate and the benefits obtained by the candidates shall be subject to the out of the writ petition being W.P. (S) No.-3792 of 2016."

उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय पत्र सं0–743, दिनांक–25.01.2018 को निरस्त किया जाता है। तद्नुसार राज्य में प्रभावी नियमों / प्रावधानों के आलोक में सरकारी सेवकों को प्रोन्नति प्रदान की जाय।

विश्वासभाजन,
5/7/18
(के0 के0 खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक–14 / कोर्ट–02–05 / 2017 का0 4990 / राँची, दिनांक– 5.7.18

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kailash 5/7/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / कोर्ट–02–05 / 2017 का0 4990 / राँची, दिनांक– 5.7.18

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

Kailash 5/7/18

सरकार के अपर मुख्य सचिव।